कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in, Landline- 06553-296061, Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 1121 दिनांकः– 05/5/25

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, बोकारो।

विषय :– आलोक स्टील इंडस्ट्रीज प्रा0 लि0के प्लांट हेतु 9.27 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में वांछित अतिरिक्त सूचना के संबंध में।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–एफ0सी0 नोडल, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक– 331 दिनांक 22.04.2025

महाशय,

भवदीय को सूचित करना है कि पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक– 1723 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया था। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा का उत्तर सामग्री इस कार्यालय के पत्रांक– 607 दिनांक 01.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। प्रासंगिक पत्र द्वारा पुनः सुस्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गई है। अतः सुस्पष्ट प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा हैः–

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	**वन प्रमंडल पदाधिकारी का मंतव्य**
"वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा पत्रांक–890 दिनांक 20.08.2024 (क्रमशः) से संबंधित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी किस्म जंगल भूमि का पूर्व से ही दाखिल–खारिज के आधार पर जमाबंदी कायम होना एवं लगान रसीद निर्गत होना बताया गया है किन्तु इसके सापेक्ष किसी प्रकार का साक्ष्य–दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्थापित किया जा सके कि संदर्भित वन भूमि 1980 से पूर्व (वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्थल– प्रतिवेदनानुसार 1940–60 के मध्य) कृषि कार्यो हेतु बंदोबस्तित किया जा चुका था"	उपायुक्त, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 165/रा0 दिनांक 01.02.2025 के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– नोडल पदाधिकारी (एफ0सी0) को अपना पक्ष एवं साक्ष्य–दस्तावेज सीधे प्रेषित किया है, जिसकी प्रति पूर्व में संलग्न कर **(बंडल–01)** के रूप में भेजी गई थी। उक्त उत्तर से उद्धृत पद्यांश, *"उपरोक्त गैरमजरूआ खास खाता सं0 01 किस्म भूमि जंगल–झाड़ी आवेदन को निबंधित केवाला से हासिल है, जिसकी पूरी विवरणी प्रपत्र–1 में संलग्न है, भूमि का दाखिल–खारिज स्वीकृति के आधार पर वर्ष 2010–11 में कायम की गई है। कायम जमाबंदी में भूमि के विक्रेता के जमाबंदी का पृ0सं0 एवं भोल्यूम संख्या दर्ज है। जमाबंदी पंजी–II के भोल्युम सं0–01 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि विक्रेता की जमाबंदी से रकवा घटाया नहीं गया है। पंजी–II के भोल्यूम संख्या–01 वर्ष 1984–85 से संबंधित है, जिसके कैफियत कॉलम में प्रथम रसीद संख्या–549032 दिनांक 21.01.1955, रसीद संख्या– 291122 दिनांक 27.12.1955 एवं रसीद संख्या–886455 दिनांक 04.09.1954 इत्यादि दर्ज है परन्तु पंजी–II में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश दर्ज नहीं है। ऑफलाईन पंजी– II 1983–84 से वर्ष*

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई पृच्छा	वन प्रमंडल पदाधिकारी का मंतव्य
	2010–11 तक की छाया प्रति साथ संलग्न है। पुरानी पंजी– II के जमाबंदी का मिलान 1951–52 से वर्ष 1983–84 तक कायम जमाबंदी से मिला किया गया। उपरोक्त जमाबंदी पुरानी पंजी– II में कायम नहीं है।" **जो दर्शाता है कि जमाबंदी काफी पुरानी है।**

आपका विश्वासी,

Nitish 05/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।

ज्ञापांकः– 1121 **दिनांकः–** 05/5/25

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Nitish 05/5/25

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।